



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2013-कार्तिक 17, शके 1935

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स दुर्गा एसोसिएट्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00132/06, वर्ष 2005-06 रजिस्टर्ड ऑफिस-एच 30, गोविन्दपुरी ठाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) पर स्थित है। उक्त फर्म में वर्तमान में चार साझेदार श्री रामनिवास शर्मा, श्री दाऊदयाल शर्मा, श्रीमती सुमन शर्मा एवं श्री धमेन्द्र शर्मा हैं। श्री रामनिवास शर्मा, श्रीमती सुमन शर्मा, श्री धमेन्द्र शर्मा उक्त फर्म से 15 अक्टूबर, 2013 से अन्य साझेदारों की सहमति से अलग हो चुके हैं। इनका भविष्य में फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा।

नवीन साझेदार श्री अमरनाथ शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल शर्मा व श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नी श्री धमेन्द्र शर्मा दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 से उक्त फर्म में सम्मिलित हो चुके हैं।

मैसर्स दुर्गा एसोसिएट्स,

प्रज्ञा शर्मा,

(Partner)

(415-बी.)

एच-30, गोविन्दपुरी ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

#### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राज बिल्डर्स, मेडीकल कॉलेज के सामने, अशोक बिहार कॉलोनी, तिली सागर के पुनर्गठन में दिनांक 15 जून, 2013 से परिवर्तन किया गया है। जिसके अनुसार श्रीमती कृष्णा तिवारी जिनका स्वर्गवास दिनांक 15 जून, 2013 को हो गया है। उनके स्थान पर श्री सूर्यांशु तिवारी आत्मज श्री सुशील तिवारी, निवासी 21, गोपालगंज, सागर को फर्म का नया भागीदार बनाया गया है।

सूचनाकर्ता

प्रकाशचंद्र जैन,

(पार्टनर)

(416-बी.)

मे. राज बिल्डर्स, सागर.

### सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार प्रदीप जैन वल्द शीतलचंद जैन, निवासी लक्ष्मीपुरा वार्ड, सागर, पार्टनर फर्म मे. बाहुबली डेवलपर्स, पंजीयन क्रमांक 06/09/01/00121/10, अरिहन्त बिहार, वेदान्ती रोड, पंतनगर, वार्ड सागर मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार उपरोक्त फर्म के पार्टनर श्रीमती पुष्पा जैन पत्नी श्री जवाहर लाल जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से निवृत्त हो गई हैं तथा उपरोक्त फर्म में- 1. नीलेश कुमार जैन वल्द राजकुमार जैन, 2. श्रीमती सुधा जैन पति राजकुमार जैन, 3. राजकुमार जैन वल्द कस्तूरचंद जैन, 4. दिलीप गुप्ता वल्द शंकर लाल गुप्ता, 5. नवीन कुमार जैन वल्द गुलाबचंद जैन. उपरोक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल हुये हैं.

अतः सार्वजनिक सूचना जनहित में जारी हो.

सूचनाकर्ता

बी. आर. पाटकार

(एडवोकेट)

सागर (म.प्र.).

(417-बी.)

### SUCHNA

#### Change in Constitution of Firm A.S. Sales Corporation, Itarsi

This is inform that change in partnership of "A.S. Sales Corporation, Itarsi" has been effected with effect from 01 April, 2011 details are as under Following partner has been retired from the firm.

**Shri Dinesh Kumar Pathak  
Gadarwarha**

This information has been published in accordance with the partnership Act.

For A. S. Sales Corporation

**HEMANT KUMAR SHUKLA,**

(Partner).

(420-B.)

### सूचना

#### भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सैफी टिम्बर मार्ट 5, नवलखा रोड, इन्दौर के भागीदार हसनअली आत्मज नजरअली का देहावसाना 20 अप्रैल, 2013 को हो गया है तथा शेष रहे भागीदार शब्बीर हुसैन आत्मज हसनअली, 2. हकीमुद्दीन आत्मज हसनअली, 3. अमीरुद्दीन आत्मज हसनअली ने नया अनुबंध दिनांक 21 अप्रैल, 2013 से कर लिया है, जो प्रभावशील है.

वास्ते—मेसर्स सैफी टिम्बर मार्ट

हकीमुद्दीन हसनअली,

भागीदार.

(422-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अरमा डवलपर्स दिनांक 29 फरवरी, 2012 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00295/12, सन् 2011-12 से कार्य कर रही है. जिसे की आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 को संशोधित किया जा रहा है. इस संशोधित बिलेख दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 द्वारा- (1) श्री श्री अमब्रीस शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द शर्मा, आयु-44 वर्ष, निवासी-पीपुल्स केम्पस, विजय द्वार, भोपाल (म.प्र.), (2) श्री वीर सिंह पुत्र श्री कालीचरण सिंह, आयु-43 वर्ष, निवासी-गंगा मालनपुर, ग्वालियर (म.प्र.) स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर हट रहे हैं तथा इनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में- (1) श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बट्टीप्रसाद श्रीवास्तव, आयु-40 वर्ष, निवासी-डी-2, हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.), (2) श्रीमती प्रिया श्रीवास्तव पत्नी श्री ब्रजेश श्रीवास्तव, आयु-30 वर्ष, निवासी-डी-2, हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) सम्मिलित हुये हैं. इस तरह संशोधित साझेदारी बिलेख दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 द्वारा उपरोक्त फर्म में निम्नलिखित साझेदारी दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से वर्तमान में साझेदार हैं. (1) श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री एम.एल. भारद्वाज, आयु-47 वर्ष,

निवासी-28, ललितपुर कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.), (2) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, आयु-40 वर्ष, निवासी-कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.), (3) श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बद्रीप्रसाद श्रीवास्तव, आयु-40 वर्ष, निवासी-डी-2, हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.), (4) श्रीमती प्रिया श्रीवास्तव पत्नी श्री ब्रजेश श्रीवास्तव, आयु-30 वर्ष, निवासी-डी-2, हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) हैं।

अब आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से फर्म का नवीन पंजीकृत पता-डी-2, हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) रहेगा.

**प्रेषक**

**मेसर्स अरमा डवलपर्स**

**MAHESH BHARDWAJ,**

**(PARTNER)**

(423-बी.)

डी-2, हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में मनीष सिंह चन्द्रावत पिता श्री नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत था, परन्तु अब मैं मानवेन्द्र सिंह चन्द्रावत पिता श्री नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ साथ ही समस्त व्यवहार भविष्य में मानवेन्द्र सिंह चन्द्रावत पिता श्री नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत के नाम से ही किया जावेगा.

पुराना नाम :

**( मनीष सिंह चन्द्रावत )**

नया नाम :

**( मानवेन्द्र सिंह चन्द्रावत )**

पिता श्री नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत,

निवासी-156/ए.जी. स्कीम नम्बर, 54,

विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(418-बी.)

### नाम परिवर्तन

एतद्वारा मैं, गोविन्दसिंह पिता सुगनसिंह, निवासी-292, सेक्टर-ए, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम गोविन्दचन्द तिवारी पिता श्री सुगनचन्द तिवारी था, बाद में मेरे द्वारा अपना नाम गोविन्दसिंह पिता सुगनसिंह लिखा जाने लगा तथा इसी नाम से हस्ताक्षर किये जाने से मेरा यह नाम भी रहा है. वर्तमान में मैंने अपना नाम गोविन्दचन्द तिवारी पिता श्री सुगनचन्द पुकारने, जाने व पहचानने हेतु लिखना व हस्ताक्षर करना प्रारंभ कर दिया है, इस कारण मैं मेरे नाम गोविन्दसिंह पिता सुगनसिंह के स्थान पर गोविन्दचन्द तिवारी पिता सुगनचन्द पुकारने, जानने व पहचानने हेतु सूचित कर रहा हूँ, तत्संबंध में मैंने शपथ-पत्र भी निष्पादित किया है.

पुराना नाम :

**( गोविन्दसिंह )**

नया नाम :

**( गोविन्दचन्द तिवारी )**

पिता सुगनचन्द,

292, सेक्टर-ए, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).

(419-बी.)

### CHANGE OF NAME

I, Shikha Singh D/o Shri Sukhendra Singh Parihar & Mother-Santosh Singh Parihar, R/o Vindhyanagar, Qrt. No. NH-3, B-67, Distt. Singrauli (M.P.). I have cleared 10<sup>th</sup> & 12<sup>th</sup> examination in 2010 & 2012 form DE PAUL SCHOOL Vindhyanagar, Distt. Singrauli (M.P.) in above educational record my guardian's name have registered Vijay Singh Parihar in place of Sukhendra Singh Parihar. I declared that my father's name should be registered as Sukhendra Singh Parihar in place of Vijay Singh Parihar.

**( SHIKHA SINGH )**

D/o Sukhendra Singh Parihar,

NH-3, B/67, Vindhyanagar,

Distt. Singrauli (M.P.).

(421-B.)

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर

सागर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./क/11410/व.लि.-3/13.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3/2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर, सागर द्वारा वर्ष 2013 के लिये सागर जिले के अन्तर्गत दिनांक 04 नवम्बर, 2013 दिन सोमवार, दीपावली का दूसरा दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था किन्तु माह नवम्बर, 2013 में विधान सभा चुनाव 2013 सम्पन्न होने से उक्त अवकाश निरस्त करते हुये उसके स्थान पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 दिन सोमवार, दत्तात्रय जयंती का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ।

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप-कोषालय को लागू नहीं होंगे।

योगेन्द्र शर्मा,  
कलेक्टर,

(603)

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), पिपरिया

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2013-14.

मौजा:—जमुनिया रंधीर/खैरीरंधीर

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, पिपरिया, जिला होशंगाबाद के समक्ष आवेदक चौधरी नीलेश सिंह आ. श्री त्रिभुवनसिंह चौधरी, निवासी-जमुनिया रंधीर, तहसील-बनखेड़ी, जिला-होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर श्री रामचन्द्रजी मंदिर सार्वजनिक न्यास, जमुनिया रंधीर के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किया जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2013 के 11 माह कि 12 दिनांक पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा। किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री रामचन्द्रजी मंदिर सार्वजनिक न्यास, जमुनिया रंधीर, तहसील-बनखेड़ी, जिला-होशंगाबाद

प.ह.न. 17 ग्राम खैरीरंधीर ख.न. 60, 64 रकबा 8.00 एकड़ कृषि भूमि.

गणेश कुमार जायसवाल,  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(596)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद**

दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

प्र. क्र. 01-B/113(1)वर्ष 2013-14क्र...../री/2013.

**प्रारूप-चार**

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

जैसा की श्री देव मूलजी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम सहजकुई, तहसील सिवनी मालवा सर्वराहकार लक्ष्मीनारायण आत्मज मिश्रीलाल पटेल, निवासी सहजकुई, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 23 नवम्बर, 2013 को विचार किया जावेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो यदि कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष पेशी दिनांक 23 नवम्बर, 2013 को उपस्थित हो सकता है समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(606)

**प्रकाशसिंह चौहान,**  
अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( शहर) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

**समक्ष :** रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक श्री डॉ. एस. के. जैन आ. स्व. पन्नालाल जैन, निवासी 86 छोला रोड, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा उपस्थित होकर दयोदय महासंघ न्यास भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 05 नवम्बर, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो, लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

ट्रस्ट का नाम व पता	..	दयोदय महासंघ न्यास, भोपाल, जिला भोपाल 86, छोला रोड, तहसील हुजूर, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	एक किता मकान नियर स्ट्रा प्रोडक्ट, छोला रोड, भोपाल
चल सम्पत्ति	..	रु. 5,100/-

(598)

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

**समक्ष :** रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक श्री रणजीत सिंह पिता श्री बेचन सिंह निवासी 722, ए-न्यू अशोका गार्डन, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा उपस्थित होकर नव ज्योति सेवा न्यास, भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 05 नवम्बर, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो, लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	नव ज्योति सेवा न्यास, भोपाल, जिला भोपाल 722, ए-न्यू अशोका गार्डन, तहसील हुजूर, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	रु. 5,000/-

(598-A)

जी. एस. धुर्वे,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. /बी-113/2012-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "श्री खाटूश्याम सेवा न्यास" ए-सेक्टर सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड, ब्लॉक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	"श्री खाटूश्याम सेवा न्यास" ए-सेक्टर सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड, ब्लॉक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
चल सम्पत्ति	..	--
अचल सम्पत्ति	..	--

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(599)

राजेश श्रीवास्तव,  
अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह**

**प्रारूप क्रमांक-4**

[देखें नियम-(5)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 195 का क्र. आर. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

विषय-पंजीयन बाबत  
ग्राम- नोहटा प.ह.नं. 17,  
तहसील-जबेरा, जिला दमोह.

आवेदक उमेश जैन आत्मज कमल कुमार जैन साकिन नोहटा तहसील जबेरा, जिला दमोह द्वारा श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र आदीश्वर गिरी ग्राम नोहटा को लोक न्यास के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है. जिसकी कार्यवाही इस न्यायालय में विचाराधीन है.

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा उजर उद्घोषणा प्रकाशन से 15 दिवस के अंदर इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर या मान्यता प्राप्त अधिवक्ता के माध्यम से पेश कर सकता है.

नियत तिथि गुजर जाने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 23 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

**एस. के. अहिरवार,**  
अनुविभागीय अधिकारी.

(600)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़नगर, जिला उज्जैन**

प्र.क्र./2/बी-113/12-13.

प्रो.र.नं. 2/5-10-13.

**फॉर्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि श्री सहस्र औदित्य ब्राह्मण समाज शंकर (चबूतरा) बावडी परिसर, बड़नगर द्वारा श्री गोविन्दसिंह, किशोरसिंह जागीरदार, ग्राम खरसौदखुर्द, तहसील बड़नगर एवं अन्य के द्वारा ट्रस्ट को पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय नियमावली के प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के पश्चात्/उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	..	श्री सहस्र औदित्य ब्राह्मण समाज शंकर (चबूतरा) बावडी परिसर, बड़नगर
ट्रस्ट का पता	..	मंगलनाथ रोड, बड़नगर, तहसील बड़नगर
चल सम्पत्ति	..	रुपये दस हजार को-ऑपरेटिव बैंक में
अचल सम्पत्ति	..	कस्बा बड़नगर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 883 रकवा 0.010, 884 रकवा 0.052, 885 रकवा 0.157 शामिल नम्बर रकवा 0.219, 886 रकवा 0.293, 887 रकवा 0.052, 1697 रकवा 0.178, 1902 रकवा 0.157 कुल रकवा 0.899 है.

आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

**सरोधनसिंह,**  
अनुविभागीय अधिकारी एवं  
रजिस्ट्रार.

(601)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक लोक न्यास, खरगोन

प्र.क्र.01/बी-113(1)/13-14.

### फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं  
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष-पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष "श्री जाट समाज महासभा ट्रस्ट" खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01.	नगद	रु. 12,100/-	-- --
02.	अचल सम्पत्ति	--	-- --

(602)

जितेन्द्र सैनानी  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, हरदा

हरदा, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

आ.क्र./मा.चि./415.—हरदा वनमण्डल (सा.) की मकडाई परिक्षेत्र के बीटगार्ड सुन्दरपानी द्वारा बीट सुन्दरपानी का पासिंग हेमर जिसकी आकृति हांसिये में अंकित है. श्री कमलसिंह मल्हारों बीटगार्ड द्वारा गुमा दिया गया है. जिसकी रिपोर्ट दिनांक 17 मई, 2013 को थाना छीपाबड में दर्ज करायी गयी. बहुत खोजबीन के पश्चात् भी हेमर का पता नहीं चल सका.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हांसिये में अंकित हेमर को भण्डार एवं अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. उक्त हेमर की कीमत बीटगार्ड श्री कमलसिंह मल्हारों से रुपये 400/- की उनके वेतन से एक मुस्त वसूली की जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.

(595)

यू. के. शर्मा,  
वनमण्डलाधिकारी.



**कार्यालय संयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन**

उज्जैन, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए (1) के परन्तुक के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

एवं सदस्यगण समस्त.

महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., खाचरौद,

पता- 59, सागरमल मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन,

द्वारा :- उपायुक्त सहकारिता, जिला-उज्जैन.

क्र./परि./2013/1247.—उपायुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन के पत्र क्र./पंजीयन/2013/2437, उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 से महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., खाचरौद (पंजीयन क्र. 1762, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010) का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क (1) के अंतर्गत पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. उप-पंजीयक द्वारा प्रस्ताव में अवगत कराया गया है कि उक्त संस्था के पंजीयन के समय सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-6 तथा धारा-2 (झ) का पालन नहीं किया गया है एवं संस्था के प्रवर्तक आवेदक सदस्यों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर विभिन्न 20 परिवारों के स्थान पर कम परिवार के सदस्यों को मिलाकर संस्था का पंजीयन करा लिया गया है. प्रस्ताव अनुसार कुल 21 प्रवर्तक सदस्यों में से 09 सदस्य पंजीयन के समय मात्र 04 परिवार के सदस्य थे जिससे स्पष्ट है कि संस्था का पंजीयन धारा-6 अनुसार आवश्यक 20 विभिन्न परिवार के सदस्यों से न किया जाकर 20 से कम विभिन्न परिवारों के सदस्यों को शामिल करते हुए किया गया है.

अतः उक्त कारण से महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., खाचरौद अधिनियम, के प्रावधान के विपरित एवं प्रवर्तक सदस्यों के द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीयन कराये जाने से उक्त संस्था का रजिस्ट्रीकरण क्यों न समाप्त कर दिया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था के संचालक मण्डल/सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 06 नवम्बर, 2013 नियत की जाती है. उक्त नियत दिनांक तक संस्था का संचालक मण्डल/संस्था सदस्य अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत दिनांक तक अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर संस्था का सह.सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा एवं 18-ए (2) (3) के तहत शासकीय समनुदेशिती की नियुक्ति कर दी जाएगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. पी. मारण,

संयुक्त पंजीयक.

(604)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा**

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

क्र./परि/13/3018.—भगत कंवराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1190 खण्डवा, दिनांक 08 नवम्बर, 1979 का बहिर्गामी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयवाधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम, की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अतः निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए भगत कंवरराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1190 खण्डवा, दिनांक 08 नवम्बर, 1979 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(605)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

क्र./परि/13/3019.—गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1291 खण्डवा, दिनांक 09 जुलाई, 1982 का बहिर्गामी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम, की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अतः निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1291 खण्डवा, दिनांक 09 जुलाई, 1982 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,

उप पंजीयक.

(605-A)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 08 नवम्बर 2013-कार्तिक 17, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना ( मुरैना ), भिण्ड, गोहद, मिहोना ( भिण्ड ), करैरा ( शिवपुरी ), वल्देवगढ़ ( टीकमगढ़ ), गौरीहार ( छतरपुर ), रघुराजनगर, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, बिरसिंहपुर ( सतना ), सिरमौर ( रीवा ), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, बड़ोद, शाजापुर, गुलाना ( शाजापुर ), थान्दला, मेघनगर, झाबुआ, राणापुर ( झाबुआ ), जोवट, अलीराजपुर, भामरा, कट्टीवाड़ा ( अलीराजपुर ), रीठी ( कटनी ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर ( ग्वालियर ), नरवर ( शिवपुरी ), मुंगावली ( अशोकनगर ), जतारा ( टीकमगढ़ ), छतरपुर, बकस्वाह ( छतरपुर ), पन्ना ( पन्ना ), मैहर ( सतना ), बांधवगढ़ ( उमरिया ), मझौली, कुसमी, रामपुरनैकिन ( सीधी ), पेटलावद ( झाबुआ ), शाहपुरा ( डिण्डोरी ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील जौरा, कैलारस ( मुरैना ), श्योपुर ( श्योपुर ), अटेर, मेहगांव, लहारे ( भिण्ड ), राजनगर ( छतरपुर ), अजयगढ़, गुन्नौर ( पन्ना ), बण्डा ( सागर ), पटेरा ( दमोह ), त्योंथर, मऊगंज ( रीवा ), कोतमा ( अनूपपुर ), गोपदवनास, सिंहावल ( सीधी ), कुक्षी, गंधवानी, डही ( धार ), बड़वानी, राजपुर ( बड़वानी ), रायसेन ( रायसेन ), सीहोरा ( जबलपुर ), कटनी, बहोरीबन्द, बड़वारा ( कटनी ), डिण्डोरी ( डिण्डोरी ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील सबलगढ़ ( मुरैना ), कराहल, विजयपुर ( श्योपुर ), डबरा, भितरवार, घाटीगांव, ( ग्वालियर ), सेवड़ा ( दतिया ), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, कोलारस, पोहरी, बदरवास ( शिवपुरी ), ईसागढ़, अशोकनगर, चंदेरी ( अशोकनगर ), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा ( टीकमगढ़ ), लौण्डी, नौगांव, बिजावर, बड़ामलहरा ( छतरपुर ), पवई, शाहनगर ( पन्ना ), बीना, खुरई, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ ( सागर ), हटा, बटियागढ़, दमोह, जवेरा, तेन्दूखेड़ा ( दमोह ), रामपुर-बघेलान ( सतना ), हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान ( रीवा ), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, जैतपुर, गोहपारू, बुढार ( शहडोल ), जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ ( अनूपपुर ), पाली, मानपुर ( उमरिया ), चुरहट ( सीधी ), सुवासराटप्पा, मल्हारगढ़, कयामपुर, गरोठ, मंदसौर, सीतामऊ, धुन्धड़का, शामगढ़ ( मंदसौर ), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा ( उज्जैन ), बदनावर, सरदारपुर, धार, मनावर, धरमपुरी, ( धार ), ठीकरी, सेंधवा, निवाली ( बड़वानी ), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर ( बुरहानपुर ), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर ( विदिशा ),

गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाडी, उदयपुरा (रायसेन), भैसदेही, चिचौली, बैतूल, आढनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), मझौली, जबलपुर, कुन्डम (जबलपुर), विजयराघवगढ़, ढीमरखेड़ा, बरही, (कटनी), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा चौरई, बिछुआ, हरई (छिन्दवाड़ा) सिवनी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर, छपारा (सिवनी), लांजी, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक. — तहसील दतिया, भाण्डेर (दतिया), पथरिया (दमोह), भानपुरा, संजीत (मंदसौर), बैरसिया (भोपाल), घोड़ाडोगरी, शाहपुर, मुलताई (बैतूल), वनखेड़ी (होशंगाबाद), पाटन (जबलपुर), जामई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी, घनोरा (सिवनी), बालाघाट, बैहर, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक. — तहसील हुजूर (भोपाल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, झाबुआ, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में कोदों-कुटकी व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, कटनी, मण्डला, सिवनी व बड़वानी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

..

5. कटाई.—

..

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, शहडोल, झाबुआ, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाप्त बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	13.0				
2. पोरसा	7.0				
3. मुरैना	10.0				
4. जौरा	36.0				
5. सबलगढ़	122.0				
6. कैलारस	50.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	52.0				
2. कराहल	93.0				
3. विजयपुर	160.0				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	44.0				
2. भिण्ड	12.1				
3. गोहद	9.0				
4. मेहगांव	35.6				
5. लहार	40.4				
6. मिहोना } 7. रौन }	7.0				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	27.9				
2. डबरा	74.8				
3. भितरवार	103.0				
4. घाटीगांव	55.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	169.0				
2. दतिया	262.0				
3. भाण्डेर	333.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	72.0				
2. पिछोर	228.0				
3. खनियाधाना	83.0				
4. नरवर	33.0				
5. करैरा	13.0				
6. कोलारस	118.0				
7. पोहरी	70.0				
8. बदरवास	76.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	30.0				
2. ईसागढ़	100.0				
3. अशोकनगर	192.0				
4. चन्देरी	79.0				
<b>*जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना	..				
2. राधौगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूँगफली, गन्ना, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	66.4				
2. पृथ्वीपुर	90.0				
3. जतारा	27.0				
4. टीकमगढ़	93.0				
5. बल्देवगढ़	15.0				
6. पलेरा	137.0				
7. ओरछा	80.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	72.0				
2. गौरीहार	13.0				
3. नौगांव	77.0				
4. छतरपुर	25.7				
5. राजनगर	39.4				
6. बिजावर	63.0				
7. बड़ामलहरा	67.2				
8. बकस्वाहा	23.2				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	47.7				
2. पन्ना	31.8				
3. गुन्नौर	39.0				
4. पवई	122.0				
5. शाहनगर	58.4				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	55.0				
2. खुरई	134.1				
3. बण्डा	47.2				
4. सागर	98.3				
5. रेहली	66.7				
6. देवरी	164.3				
7. गढ़ाकोटा	85.0				
8. राहतगढ़	132.0				
9. केसली	131.3				
10. मालथोन	148.4				
11. शाहगढ़	90.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	115.0				
2. बटियागढ़	113.0				
3. दमोह	141.5				
4. पथरिया	266.0				
5. जवेरा	76.0				
6. तेन्दूखेड़ा	133.0				
7. पटेरा	45.0				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	7.3				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	55.0				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	17.0				
6. अमरपाटन	10.0				
7. रामनगर	2.0				
8. मैहर	24.0				
9. बिरसिंहपुर	8.0				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	48.0				
2. सिरमौर	9.3				
3. मऊगंज	53.0				
4. हनुमना	56.0				
5. हजूर	166.0				
6. गुढ़	71.0				
7. रायपुरकचुलियान	76.0				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, उड़द, अरहर, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	123.0				
2. ब्यौहारी	64.0				
3. जैसिंहनगर	76.0				
4. जैतपुर	135.0				
4. गोहपारू	114.0				
4. बुढार	144.9				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, कोदों, सोयाबीन, उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	58.4				
2. अनूपपुर	70.3				
3. कोतमा	48.0				
4. पुष्पराजगढ़	105.9				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल, सोयाबीन कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	33.5				
2. पाली	105.0				
3. मानपुर	77.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदो-कुटकी तिल, तुअर, मूँग, उड़द, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	43.4				
2. सिहावल	47.0				
3. मझौली	32.5				
4. कुसमी	18.0				
5. चुरहट	55.0				
6. रामपुरनैकिन	26.1				
<b>*जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	108.1				
2. भानपुरा	312.2				
3. मल्हारगढ़	120.0				
4. कल्याणपुर	171.0				
5. गरोठ	110.2				
6. मन्दासौर	111.0				
7. संजीत	254.0				
8. सीतामऊ	81.4				
9. धुन्धडका	95.0				
10. शामगढ़	111.0				
<b>*जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
7. रावटी	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	146.0				
2. महिदपुर	84.0				
3. तराना	130.0				
4. घटिया	119.0				
5. उज्जैन	65.0				
6. बड़नगर	86.8				
7. नागदा	106.0				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	10.0				
2. सुसनेर	1.4				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	8.0				
6. शाजापुर	4.4				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	5.0				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मूँगफली, कपास अधिक. मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	10.0				
2. मेघनगर	13.0				
3. पेटलावद	27.0				
4. झाबुआ	5.4				
5. राणापुर	4.0				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उड़द, कपास. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	5.2				
2. अलीराजपुर	1.2				
3. भामरा	3.0				
4. सोण्डवा	..				
5. कट्टीवाड़ा	5.0				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	94.0				
2. सरदारपुर	111.0				
3. धार	57.6				
4. कुक्षी	41.6				
5. मनावर	72.0				
6. धरमपुरी	77.0				
7. गंधवानी	48.0				
8. डही	46.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>*जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्छान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	36.0		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	77.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	35.0				
4. सेंधवा	55.0				
5. पानसेमल	25.0				
6. पाटी	28.0				
7. निवाली	77.0				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
<b>जिला पूर्ण-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	59.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	110.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	124.0				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	..		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	..		(2) . .		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	145.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	114.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	108.8				
4. बासौदा	226.0				
5. नटेरन	60.0				
6. विदिशा	146.0				
7. गुलाबगंज	60.0				
8. ग्यारसपुर	147.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	250.1		4. (1) गन्ना कम. सोयाबीन, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	599.2		मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) . .	..	
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	48.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	162.4		(2) . .		
3. बेगमगंज	71.6				
4. गोहरगंज	120.0				
5. बरेली	121.0				
6. सिलवानी	149.4				
7. बाड़ी	153.0				
8. उदयपुरा	106.5				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	93.8		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	311.9		(2) . .		
3. शाहपुर	408.6				
4. चिचोली	182.3				
5. बैतूल	243.7				
6. आठनेर	203.4				
7. मुलताई	255.2				
8. आमला	189.6				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	204.8		4. (1) मूँग-मोँठ सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	120.6		(2) . .		
3. बाबई	129.0				
4. इटारसी	220.6				
5. सोहागपुर	228.0				
6. पिपरिया	170.4				
7. वनखेड़ी	370.0				
8. पचमढी	237.8				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	50.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	252.1		(2) . .		
3. मझौली	96.4				
4. जबलपुर	132.4				
5. कुण्डम	132.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	43.3		4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	15.0		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	55.8				
4. बहोरीबंद	36.6				
5. ढीमरखेड़ा	65.0				
6. बड़वारा	40.0				
7. बरही	81.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	111.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	131.0		(2) ..		
3. नैनपुर	175.1				
4. मण्डला	175.8				
5. घुघरी	133.7				
6. नारायणगंज	83.9				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का व कोदों-कुटकीकी बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	44.2		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, राहर, कोदों-कुटकी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	25.4		(2) ..		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	62.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	100.2		(2) ..	..	
3. परासिया	111.6				
4. जामई (तामिया)	262.4				
5. सोंसर	139.4				
6. पांडुर्णा	156.6				
7. अमरवाड़ा	81.8				
8. चौरई	96.0				
9. बिछुआ	188.8				
10. हरई	158.2				
11. मोहखेड़ा	273.0				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	135.6		4. (1) मक्का अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	361.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	194.0				
4. बरघाट	138.4				
5. कुरई	167.0				
6. घंसौर	242.0				
7. धनोरा	265.0				
8. छपारा	231.7				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	339.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	192.5		(2) ..		
3. बैहर	304.0				
4. वारासिवनी	218.1				
5. कटंगी	269.0				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला गुना, सिंगरौली, नीमच, रतलाम, प. निमाड़, राजगढ़, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(594)